श्री

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती चादीबाई बनाम विपक्षी श्री बाबरू

कैरम मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या 65/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 के समन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की मौजा डोडिया का खेडा पटवार हल्का केदारिया भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी नं. 104 रकबा 0.0900 है. भूमि प्रार्थीया के कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही है तथा आराजीयात खसरा संख्या 103 रकबा 0.1800 है. भूमि विपक्षी संख्या 1 बाबरू के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में होकर विपक्षी संख्या 1 बाबरू का कब्जा है। आराजी संख्या 104 में फसल की सिचाई हेतु पानी के पाईप लाईन ले जाना चाहती है। आराजी संख्या 2484 से आराजी संख्या 104 में फसल सिचाई हेतु पानी ले जाने हेतु आराजी संख्या 2484 से पानी के पाईप लाईन ले जाना चाहती है। आराजी संख्या 2484 से आराजी संख्या 104 में पानी की पाईप लाईन ले जाने के लिए आराजी संख्या 103 में से होकर पाईप लाईन ले जानी है, आराजी संख्या 103 विपक्षी संख्या 1 बाबरू के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में है इसलिए विपक्षी संख्या 1 द्वारा पानी की पाईप लाईन ले जाने के लिए बाधा उत्पन्न की जा रही है इसलिए उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में लाना आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 104 कोई सिचाई का साधन नहीं होने कि वजह से प्रार्थीया अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व कृषि कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रार्थीया अपने व अपने पति नारायण के कब्जे काश्त कि आराजी संख्या 2484 से पानी की पाईप लाईन लाना चाहती है जिससे कि भूमि का विकास होकर कृषि कार्य हो पायेगा जिसमें विपक्षी संख्या 1 बाबरू द्वारा आपत्ती की जा रही है और पाईप लाईन ले जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और वह अपने कब्जे काश्त की भूमि में सिंचाई हेतु पानी ले जाना चाहता है जो पाईप लाईन आराजी संख्या 103 से गुजरती है। प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी आराजी संख्या 103, 104 के संयुक्त खातेदार है। भूमि सामलाती होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का हक अधिकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डोडियों का खेडा पटवार हल्का केदारिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत 2078 [illegible] की आराजी नंबर 104 में सिचाई हेतु आ.न.103 से होकर पानी की पाईप लाईन लाने में वि[illegible] 1 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, नुकसान नहीं पहुंचावे। अतः मूल वाद [illegible] से पावन्द रहें। [illegible]वली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:35:46 IST
Reason: SelfAttested